

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी :- मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.

GCMS NO- 2024/187

प्रार्थना पत्र :- 10/2024

उनवान - सुरेश कुमार पुत्र पूर्णमल जाति माली निवासी बाग की ढाणी, ढाणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।

बनाम

राज. सरकार जरिये तहसीलदार खेतड़ी।

अधिवक्ता प्रार्थी - श्री भुपेन्द्र कसाणा

अन्तर्गत धारा 138 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

निर्णय दिनांक 16.09.2025

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, आधार कार्ड (सुरेश कुमार), भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र (सुरेश कुमार), परिवार राशन कार्ड, आयकर विभाग का पैन कार्ड (सुरेश कुमार), साक्ष्य में सहखातेदार पिन्दू सैनी पुत्र कैलाशचन्द का शपथ पत्र मय आधार कार्ड की प्रति तथा तहसीलदार खेतड़ी के क्रमांक भू.अ./24/1577 दिनांक 14.03.2024 के साथ सलंगन पटवारी हल्का मानोता कलां रिपोर्ट में स्पष्ट अभिशपा के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मानोता कलां पटवार मण्डल मानोता कलां की जमाबंदी संवत् 2074- 2077 के खाता सं. 48 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार खेतड़ी को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं। खाते की शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी। रहन यदि कोई हो तो रहन मुक्त होने पर ही आदेश का अमल दरामद हो।

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	मनोता कलां	ग्राम मानोता कलां पटवार मण्डल मानोता कलां की जमाबंदी संवत् 2074- 2077 के खाता सं. 48 के खसरा नम्बर 336, 337, 398 किता 3 कुल रकबा 2.28 है.	लीलाराम पुत्र पूर्ण	सुरेश कुमार उर्फ लीलाराम पुत्र पूर्णमल



मुकेश चौधरी
एवं उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी
दिनांक :- 16/9/25

क्रमांक :- राजस्व/2015/
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार खेतड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
- 2- सुरेश कुमार उर्फ लीलाराम पुत्र पूर्णमल जाति माली निवासी बाग की ढाणी, ढाणा तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन उपखण्ड अधिकारी एवं
एवं पदेन सहायक कलक्टर
खेतड़ी, जिला झुंझुनूं